संख्या-23/2018/डी-297/38-2-2018-5डब्लू(डी)/2015टीसी

प्रेषक,

नागेन्द्र प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2018**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-107/लेखा/डी0आर0डी0ए0प्रशा0/2017-18 (ग्रेच्युटी), दिनांक 12-03-2018 जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी की धनराशि रू0 36.90 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी की धनराशि रू0 36.90 लाख (रूपये छत्तीस लाख नब्बे हजार मात्र) आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03-8-2017 में प्रावधानित व्यवस्था/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि को आवश्यकतानुसार आहरित किया जायेगा। धनराशि आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) धनराशि का व्यय/उपयोग निर्धारित मद में ही किया जायेगा। अन्य किसी मद में किया गया व्यय अनुमन्य न होगा।

(4) धनराशि के आहरण/व्यय में संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत "लेखा शीर्षक 2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03 जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी का भुगतान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" मद के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/ दस-2017-231/2017, दि0 03 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

नागेन्द्र प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-23/2018/डी-297(1)/38-2-2018 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 नियोजन अनुभाग-3
7- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।